संख्याः 257 / XVII(1) / 06–30(प्रकोष्ठ) / 2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

ाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2006

विषय : जिलाधिकारियों / मुख्य विकास अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त विभिन्न नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्डों / बस्तियों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान की धनराशि का आबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्डों / बस्तियों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर एवं मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के माध्यम से प्राप्त क्रमशः नगर पालिका परिषद, रूद्रपुर एवं नगर पंचायत, कर्णप्रयाग के आगणनों पर तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण संस्तुत धनराशि, जो कि नीचे उनके सम्मुख अंकित की गई है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न बी.एम.–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कुल रू. 269.20 लाख (रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र.सं.	नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत का नाम	आगणन की धनराशि	टी.ए.सी.द्वारा संस्तुत धनराशि
(1)	नगर पालिका परिषद, रूद्रपुर	रू. 274.89 लाख	रू. 208.70 लाख
(2)	नगर पंचायत, कर्णप्रयाग (चमोली)	रू. 70.63 लाख	रू. 60.50 लाख
	योग :	रू. 345.52 लाख	रू. 269.20 लाख

2– अनुदान की उक्त धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर निदेशक, नगर विकास, उत्तरांचल, देहरादून को सूचित करते हुए उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– आगामी वित्तीय वर्षों में इस योजना हेतु समाज कल्याण विभाग से धनराशि दी जानी सम्भव न होगी, अतएव नगर विकास विभाग उक्त योजना हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत आवश्यक बजट व्यवस्था करवा लें।

4– चूंकि अनुदान स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है, अतः निदेशक, नगर विकास एवं सम्बन्धित नगर विकास परिषदों के अधिशासी अधिकारी धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कार्य / योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्ड अथवा अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती ही लाभान्वित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

8– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः 2

विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद पर किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

12– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

13– उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाना हो, तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

14– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये।

15– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का होगा।

16– स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

17– तकनीकी परीक्षण के उपरान्त यथा संशोधित औचित्यपूर्ण आगणन की प्रति भी संलग्न की जा रही है।

18– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय– 04–अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास– 00–" के मानक मद– "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

19– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1396/XXVII(3)/2006 दिनांकः 27 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः– 257(1)/XVII(1)/06–30(प्रकोष्ठ)/2006/तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. निदेशक, एन. आई. सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, चमोली/ऊधमसिंह नगर।
8. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत/नगर पलिका परिषद।
9. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
10. निदेशक, नगर विकास, उत्तरांचल, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव.